

# पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

संख्या-इज्जतनगर/18

## दरियावगंज स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 10.10.2012

लागू तिथि 14.12.2012

पुनरीक्षण तिथि Oct-17

”बी” श्रेणी इकहरी लाइन अन्तर्पीशित मानक-III, बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलो सहित  
(MACL Signals)

### पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii), देखें)

**टिप्पणी** :1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/18 दिनांक 14.7.2007 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये ।

**ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।**

#### 1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/DRO/SIP/2006/VER-ZERO संशोधन ‘सी’ पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 11 दिनांक 22.1.2007 आल्टरेशन ‘ए’ दिनांक 11.5.2012 संलग्न है जिसमें कौंटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कौंटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

#### 2. स्टेशन का विवरण :

##### 2.1. सामान्य (स्थिति) :

दरियावगंज स्टेशन फतेहगढ़ - कासगंज जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन फतेहगढ़ से 54.67 किलोमीटर तथा कासगंज जं० से 51.24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

##### 2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन , आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

खदायन (पूर्व दिशा में) : 10.46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पटियाली (पश्चिम दिशा में) : 13.68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-**  
इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० तथा आई०बी०एस० नहीं है।
- (ii) **हाल्ट स्टेशन :-**  
(क) बल्लुपुर हाल्ट गंजडुडवारा-सहावर टाउन के मध्य इस स्टेशन से 6.20 किमी० की दूरी पर स्थित है।  
(ख) नरथर हाल्ट गंजडुडवारा-सहावर टाउन के मध्य इस स्टेशन से 7.03 किमी० की दूरी पर स्थित है।
- (iii) **बाहरी साइडिंगें :-** कोई नहीं।
- 2.3. **स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनो के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
दरियावगंज- रुदायन	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दरियावगंज)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (रुदायन)
दरियावगंज- पटियाली	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दरियावगंज)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (पटियाली)

2.4 **ढलान ( ग्रेडियेन्ट ) यदि कोई हो :** कोई नहीं

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 3 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने हैं।

2.5.1 **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
1	740 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
2	686 मीटर	मेन लाइन
3	740 मीटर	लूप लाइन

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल की लम्बाई तक दोनों ओर दिया गया है। पैनल पर लाइन आक्यूपाइड (घिरा होने) तथा साफ होने का इंडिकेशन लाल एवं सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।
- (ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/18

दरियावगंज

2.5.2. अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) : कोई नहीं ।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक :

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-र्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी घन्टी
<b>परिचालन समपार फाटक</b>							
205	सी	अप होम सिगनल तथा डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल के मध्य किमी० सं० 192/10-193/1	सड़क यातायात के लिये खुला ।	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
<b>इंजीनियरिंग समपार फाटक</b>							
201	सी	दरियावगंज-रूदायन के मध्य किमी० 188/6-7	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेट मैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
211	सी	दरियावगंज-पटियाली के मध्य किमी० 200/5-6	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेट मैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" से "क"-II देखें ।

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों रूदायन तथा पटियाली से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है ।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	जिनके पास चाबी रखना है	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकन लैस ब्लाक यन्त्र दूरभाष युक्त एक्सिल काउन्टर के साथ पटियाली तथा रूदायन स्टेशन से सम्बद्ध	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क)(घ), 14.02, से 14.08, 14.10, से 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**टिप्पणी :** कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है । सहा० नियम 14.02(V), साधा० नियम 14.04 तथा सामान्य एवं सहा० नियम 14.13 देखें।

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling and Interlocking) की पद्धति :**

**विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :**

दरियावगंज स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।

**प्रदत्त सिगनल :**

(क) **अप आगमन सिगनल (रूदायन से ) :**

- अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या A-12
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 मेन लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 लूप लाइन संख्या-3 के लिये बाँया जंक्शन इंडिकेटर सहित
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 लूप लाइन संख्या-1 के लिये दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (पटियाली को )**

- अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-4 मेन लाइन संख्या-2 से
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -6 लूप लाइन संख्या-1 से
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -8 लूप लाइन संख्या-3 से
- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-2 (वेकन लैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)

(ग) **अप कालिंग आन सिगनल :-**

अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10 होम सिगनल सं० एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(घ) **शंट सिगनल :-**

अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-32 कॉटा सं० 204 A के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है	रूदायन छोर से लाइन संख्या 1, 2, एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु
अप शन्ट सिगनल सं० एस एच-26 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 1 से पटियाली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-24 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 2 से पटियाली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-28 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 3 से पटियाली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(इ) डाउन आगमन सिगनल ( पटियाली से ) :

- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या A-1
- डाउन होम सिगनल संख्या- एस-1 मेन लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर सहित
- डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या-1 के लिये बॉया जंक्शन इंडिकेटर सहित
- डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या-3 के लिये दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित

(च) डाउन प्रस्थान सिगनल (रुदायन को )

- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 लूप लाइन संख्या -1 से
- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस -5 मेन लाइन संख्या-2 से
- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस -9 लूप लाइन संख्या-3 से
- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (टोकन ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)

(छ) डाउन कालिंग आन सिगनल :-

डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3 होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(ज) शंट सिगनल :-

डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-31 कॉटा संख्या 201 A के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है	<b>पटियाली छोर</b> से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु
डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-27 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 1 से <b>रुदायन छोर</b> पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-25 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 2 से <b>रुदायन छोर</b> पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-29 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है	लाइन सं० 3 से <b>रुदायन छोर</b> पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

**रिपीटर :-** कोई नहीं।

- 4.1.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त हैं।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन इंडिकेटर दिये गये है। जँक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रुट इंगित करेगीं।
- (ध) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (ड़) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैन्सीलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते है।
- (च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

#### 4.1.2 स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

#### 4.1.3 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब कॉटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

#### 4.1.4 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी :-

पैनल पर स्टेशन मास्टर की एक आपात कालीन रूट रिलीज चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० ( EUUYN ) बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते है।

4.1.5 **पुश बटन** :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-

4.1.6 **सिगनल बटन** :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भोजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.7 **रूट बटन** :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 व 3 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को "आफ" करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या "बी" तथा लाइन सं० ३ पर स्थित रूट बटन 'सी' को एक साथ दबाने पर रूट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेंगे। इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 को "आफ" करने के लिये लाइन क्लियर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या एस-2 तथा रूट बटन संख्या "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 "आफ" हो जायेगा।

4.1.8 **काँटा बटन** -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कांटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा। (स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

4.1.6 **रिमाइन्डर कालर** -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकता - नुसार सिगनल या काँटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है

4.1.7 **स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) : कोई नहीं।**

(क) **काँटा इंडिकेटर** :- इस स्टेशन पर कोई काँटा इंडिकेशन नहीं है।

(ख) **साइडिंग लाइन की कार्य विधि** :-

साइडिंग लाइन 4 में जाने अथवा आने की विधि परिशिष्ट 'ख' के पैरा 11 दी गयी है।

4.1.8 विद्युत चालित कौटा मशीन/क्रेक हैण्डल :-

- (क) मोटर चालित कौटों की विफलता की दशा में अथवा टैस्टिंग हेतु क्रेक हैण्डल द्वारा कौटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर क्रेक हैण्डल नियन्त्रक चाबी सी०एच०1, सी०एच०2, सी०एच०3 सी०एच०4 का प्रावधान है। क्रेक हैण्डल निकालने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
- (i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेक हैण्डल कन्ट्रोल चाबी का वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबायें।
- (ii) विद्युत कौटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो पैनल पर क्रेक हैण्डल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेक हैण्डल कन्ट्रोल चाबी को घुमाकर निकाल लेंगे।
- (iii) परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.3 में उल्लिखित विधि के अनुसार कौटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेक हैण्डल कन्ट्रोल चाबी पुनः क्रेक हैण्डल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेक हैण्डल नियन्त्रक चाबी एल०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने पर क्रेक हैण्डल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेक हैण्डल के एल०एन० बटन के ऊपर क्रेक हैण्डल नियन्त्रक चाबी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।
- (ख) क्रेक हैण्डल एवं उनके द्वारा संचालित कौटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रेक हैण्डल संख्या	नियन्त्रित कौटें
सी०एच०-1	201 A - 201 B
सी०एच०-2	202 A - 202 B
सी०एच०-3	203 A - 203 B
सी०एच०-4	204 A - 204 B

- (ग) प्रत्येक समय जक क्रेक हैण्डल द्वारा परिचालित कौटों को हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है, तो इस सम्बन्ध में इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रोफार्मा पर प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए।

क्र०सं०	क्रेक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का नाम एवं पद	क्रेक हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेक हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रेक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेक हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



4.1.9 **वीडर काउन्टर** :- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर प्रदत्त हैं :-

1. आपातकालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (ई०यू०यू०वाई०एन०)(EUUYN)।
2. आपातकालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई०यू०वाई०एन०)(EUYN)।
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर ।
4. सिगनल को आफ से आन करने के लिये वीडर काउन्टर (ई०जी०जी०एन०) (EGGN)।
5. क्रैंक हैण्डल वीडर काउन्टर
6. टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)
7. एक्सल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)

जब सम्बन्धित स्विच जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार जब क्रैंक हैण्डल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को पैरा 4.1.14 के कालम संख्या 6 में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर काउन्टर रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाय।

4.2 **रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने-देने की कार्य पध्दति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित हैं। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) बन्द किया जाना चाहिए । इसको खोलने की आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पॉजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी उन्हें सौंपनी चाहिए ।

4.3 **विद्युत आपूर्ति :-**

विद्युत विफलता की स्थिति में सिगनल संकेतों , ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य कॉटा संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है। आपूर्ति के साधन लोकल पावर सप्लाई (राज्य विद्युत बोर्ड), डीजल जनरेटर एवं इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई है। इसका पूरा विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में दिया गया है।

5. **दूरसंचार :** स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) रुदायन स्टेशन के टोकेन लैस ब्लाक यन्त्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) पटियाली स्टेशन के टोकेन लैस ब्लाक यन्त्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 205/सी के साथ टेलीफोन
- vi) इंजी० समपार फाटक सं० 201/सी एवं 211/सी (DRO-PTI) के साथ टेलीफोन
- vii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था विफला के दौरान गाड़ी संचालन परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10 A में उल्लिखित निर्देशानुसार करना सुनिश्चित किया जाये।)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6. गाड़ी संचालन :

गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, 8.13 एवं 4.17 के अनुसार होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

(क) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 अथवा 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिए कि,

- (i) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों पर ट्रैक सर्किट आक्व्यूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ii) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न स्थान तक साफ होनी चाहिए।

(A) अप गाड़ियों के लिए :

- i) लाइन सं० 1 एवं 3 पर आगमन हेतु स्नेग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक।
- ii) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(B) डाउन गाड़ियों के लिए :

- (i) लाइन संख्या 1 या 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।
- (ii) लाइन सं. 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन सं 1 या 2 या 3 पर मेन लाइन लगाकर लेते समय गेट सं० 205/सी को बन्द करके गेट नियन्त्रण 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखाई देगा।
- (ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितिया जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बलितिया जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तब यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलियां बुझकर लाल बलियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलियां बुझ जाती हैं और सफेद बलियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों को अवरूद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की स्थिति में दोनो ओर के कांटो को अवरूद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ी के स्टेशन से प्रस्थान हो जाने के पश्चात कांटो एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।  
(ब्लाक लाइन के विरूद्ध कांटो को सेट करने के लिए सा० एव स० नि० 05.19 देखियें तथा एक्सिल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 देखें)

#### 6.1. गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, गेटमैन, कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

#### 6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

##### दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

##### सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

#### 6.1.2 लाइनों का क्लीयेरेन्स सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी के आगमन अथवा प्रस्थान के लिये परिचालित लाइनों का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं। (साधारण नियम संख्या 3.38(i) (ख) और 8.03(2) (ग) (i) देखें )

### 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध (अलग) रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे ।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा-3003 देखें)

### 6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो ।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो
- (ग) लाइन, यार्ड में आती हुयी गाड़ी के निकटतम छोर के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो ।
- (घ) अप गाड़ियों के लिये इंजी०गेट संख्या 201/सी, डाउन गाड़ी के लिए इंजी० गेट संख्या 211/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो ।

( साधारण एवं सहायक नियम 8.03(2) (क) (ख) (ग)(ii) देखें)

### 6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

कोई नहीं ।

#### पर्याप्त दूरी :-

पर्याप्त दूरी सामान्य नियम 3.40 (i) (b) के अनुसार गाड़ी रुकने के स्थान से ली गयी है।

#### 6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना :-

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

#### 6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

#### 6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

#### 6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना - कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

सिगनलों को तब तक 'आफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि -

- (क) वह परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिए तथा इसका क्लीयर इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर उपलब्ध हों।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सम्मुख कौटे वॉछित लाइन के लिये सैट एवं लाक न कर दिये गये हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, वह सम्मुख कौटों के आगे पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) यदि अप या डाउन गाड़ी लाइन सं० 1 या 2 या 3 में मेन लाइन बनाकर ली जा रही हो गेट सं० 205/सी, को बन्द एवं लाक होना चाहिए तथा पैनल पर इसके बन्द होने का इंडिकेशन उपलब्ध हो (साधारण एवं सहायक नियम 3.40 (1) (ख), (3) (ख) एवं (4) तथा सहायक नियम 3.40(1) देखें)

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

1. इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन / प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है :-

- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन  
और  
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन  
या  
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान
- (ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन  
और  
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन  
या  
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

- (iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन  
और  
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन  
या  
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान
- (iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन  
और  
अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन  
या  
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

2. इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।  
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

#### 6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है।
- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर, इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कर्मचारी द्वारा गार्ड के पास पूर्ण आगमन पुस्तिका टी/1410 भेज कर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

- (ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद काँटो, सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा।

#### 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान : जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि,

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकनलैस यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर ट्रैक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें। पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के प्रस्थान के मामले में गेट संख्या 211/सी तथा डाउन गाड़ी के प्रस्थान के मामले में इंजी० 201/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।
- (ङ) जब मार्ग सैट एवं लाक हो जाय तथा पैनल पर वांछित संकेत उपलब्ध हो तब डाउन गाड़ियों के लिये गेट सं० 205/सी का सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 551 लाकड स्थिति में दबायें जिससे गेट बन्द एवं लाक होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।
- (च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'खू' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ड) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

#### 6.6.1. सतर्कता (काशन) आदेश जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

**6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :**

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मेन लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के अधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है। होम तथा प्रस्थान सिगनल को आफ कर देना चाहिए। तथापि प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब जब गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व नानआइसोलेटेड लाइनो पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन कू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये।  
(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

**6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-**

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।



### 6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपरी को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय ।

### 7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है । किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा ।
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिखा नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे ।

### 7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चैन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खाड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खाड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

### टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

### 8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) होम सिगनल के अन्दर शन्टिंग :

निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- iii) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 तथा शंटिंग चाबी दी जाय।

(ख) होम सिगनल के बाहर शन्टिंग : निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 तथा शंटिंग चाबी दी जाय।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) बाह्यतम सम्मुख काँटों के अन्दर शन्टिंग :

- i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

(ख) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग

बाह्यतम सम्मुख काँटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
  - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
  - iii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।
- (ग) अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे होम सिगनल तक शंटिंग की अनुमति नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :**

प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों । (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु टी/806 पर लिखित अनुमति के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाय ।

**8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल "आफ" किये जाने के बाद नान आइसोलेटेड लाइनों पर शन्टिंग की अनुमति नहीं है।

**8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :**

- रूदायन की ओर शंटिंग करते समय ट्रैफिंग गेट संख्या 205/सी को बन्द एवं लाक कराकर तथा इसका नियन्त्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-**
  - सामान्य पर्यवेक्षण ।
  - सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
  - यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
  - गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii))
  - शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

**8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कुछ नहीं

**8.6. बहिर्वर्ती (आउट लाइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :** कुछ नहीं ।

## 9. सामान्य अनुदेश :

**असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट / बीएसएनएल फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

**टिप्पणी :**

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा
- 2(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**
  - (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा।
  - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टर्बेंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
  - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
  - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।  
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. यदि कोई मोटर चालित काँटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या काँटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा।

4. कैंक हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-

संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा के अनुसार कार्य किया जायेगा।

5. कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लियरेंस का प्रमाण :-

6. काँटों ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :-  
परिशिष्ट 'ख' के पैरा को देखें

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीयर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इन्व्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।
----	---	--

**टिप्पणी :**

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

**4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :**

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर



- 9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।
- 9.3. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायता के लिये बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :  
अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक खण्ड में राहत इंजिन/गाड़ी ले जाने के प्राधिकार टी/ए602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09(3)(ii) (ii) (1) (2) (3) देखें।
- 9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :
- (क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आई०पी०एस० उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आई०पी०एस० स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये ACK/Reset पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आई०पी०एस० सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। ( आई०पी०एस० सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट “ख” का अनुलग्नक- देखें)
- (ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर जनरेटर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हस्तक के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेंगे। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।
- (घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।
- (ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर 4 घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (च) डीजल जनरेटर के 4 घंटे चल लेने के उपरान्त एक घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः 4 घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को 4 घंटे चलाकर एक घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/18

दरियावगंज

- (ज) स्टेमा/सस्टेमा प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेमा/सस्टेमा निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

**प्रारूप**

1. **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन :**

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस०की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. **डीजल का उपयोग :**

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

- (झ) **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-**

आई०पी०एस० मानिट्रिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करें अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेंगे तथा रिले भी अकार्यशील हो जायेगा।

- (ट) **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-**

- (i) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का संचालन करने से पहले यह भलिभाँति सुनिश्चित कर लें कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ii) यदि लाइन क्लीयर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाड़ी चल चुकी है तथा किसी कारणवश गाड़ी दिशा में पड़ने वाले सिगनलों की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को सिगनल के पास रोशनी बुझे हुए सिगनल के नीचे आने वाली गाड़ी के चालक को देने के लिये ज. 369 (3 b) भेजेगा जो गाड़ी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

- (क) **अप छोर :**

दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 5 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख)

**डाउन छोर :**

दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 4 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर :** परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के मौसम में फाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर रखी फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

14. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग": टक्कर रोधी उपकरण

परिशिष्ट "घ": गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ड": स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च": डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ": विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन हेतु नियम

**टिप्पणी :** इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(/अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

**परिशिष्ट "घ"****1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
  2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
  3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
  4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
  5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
  6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
  7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
  8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
  9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगें।
- (घ). मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। नियम 3.39(ii) देखें।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**परिशिष्ट 'घ'****2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। सहायक नियम 3.39(ii) देखें।
3. **गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य**

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शान्तिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

**परिशिष्ट 'घ'****गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :**

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना ।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है ।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना ।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना ।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना ।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना ।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना ।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना ।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
  - i) सिगनल, कॉटों, क्रसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में ।
  - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है ।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना ।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना ।
4. **गाड़ी सपरिचालन कर्तव्यो के अन्तर्गत गेट मैन के कर्तव्य :-**  
सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(के०एस०सोनाल )

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

## परिशिष्ट "इ"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती                | - 04 बैट्री आपरेटेड<br>- 02 के० आयल गेट सं० 205/B) |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी                | - 04 हरी तथा 06 लाल                                |
| 3. | पटाखा सिगनल                    | - 50   |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे                 | - 04 तालो सहित                                     |
| 5. | क्लैम्प                        | - 06 तालो सहित                                     |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स        | - 01   |
| 7. | फायर बकेट                      | - 06   |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 02   |
| 9. | लकड़ी के गुटके                 | - 04   |

(के०एस०सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)  
इज्जतनगर



परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

( के०एस०सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर